बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/वि० 11–109/2015 ..../बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(i)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पंचम चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करते हुए छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है:–

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1.	जिला द्वारा नियोजन इकाईवार रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना	29–07–2019 तक
2.	नियोजन से संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	03–08–2019
3.	जिला स्तर पर नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण	06–08–2019
4.	रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार रोस्टर पंजी तैयार करना	09–08–2019 तक
5.	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लीयरेंस	16–08–2019 तक
6.	जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना	21–08–2019 तक
7.	नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना का प्रकाशन	26–08–2019 तक
8.	आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि	27–08–2019 से 26–09–2019 तक
9.	मेधा सूची की तैयारी	27–09–2019 से 09–10–2019 तक
10.	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	14–10–2019 तक
11.	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	19–10–2019 तक
12.	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	21–10–2019 से 04–11–2019 तक
13.	आपत्तियों का निराकरण	11–11–2019
14.	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	15–11–2019
15.	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	18–11–2019 से 22–11–2019 तक
16.	जिला परिषद/शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	25–11–2019
17.	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	26–11–2019
18.	जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना	29–11–2019

उक्त नियमावली के नियम–16 में प्रदत्त शक्तियों के तहत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत् हैः–

(i) उक्त नियमावलियों में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए निर्धारित अर्हता धारित अभ्यर्थी ही नियोजन के लिए पात्र होंगे।

(ii) सभी संबंधित नियोजन ईकाई दिनांक–31.12.2018 तक उपलब्ध विषयवार शिक्षकों के रिक्त पद के आधार पर प्रशिक्षित एवं STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक के नवसृजित पद, जो जिला को पूर्व से आवंटित है, के तहत विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के आलोक में राज्य योजना अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद उप आवंटित कर नियोजन की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, इस कोटि के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक का पद सृजित होने पर जिलों को पदों के आवंटन के उपरांत ही नियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी। परन्तु विघटित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जहां पूर्व में माध्यमिक शिक्षक का पद (इकाई) आवंटित है, उसके विरूद्ध उपलब्ध रिक्ति पर माध्यमिक शिक्षक का नियोजन किया जा सकता है।

(iii) कम्प्यूटर विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1000 पद पर चौथे एवं पंचम चरण के उपरांत रिक्त रह गए पदों पर नियोजन की कार्रवाई इस चरण में की जायेगी।

(iv) अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रशैक्षणिक योग्यता (बी0एड0) धारित नहीं करते हैं, वे नियोजन हेतु पात्रता नहीं रखते हैं, परन्तु संगीत/नृत्य/ललितकला/कम्प्यूटर/शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए बी0एड0 होना आवश्यक नहीं है।

(v) पहली अगस्त, 2019 को माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार–लिंगवार अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो विहित है, वही होगी। दिव्यांग उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए प्रशिक्षित (बी0एड0) अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी।

(vi) विभागीय आदेश ज्ञापांक–1084 दिनांक–26.06.2019 के आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि, जो जून 2019 में समाप्त हो रही थी, उसे अगले 02 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

(vii) विभागीय आदेश ज्ञापांक–558 दिनांक–07.03.2019 के आलोक में संगीत शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2012 के समय निर्धारित उम्र सीमा के अधीन थी तथा जिन्होंने (STET) उत्तीर्ण कर लिया था, वैसे अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा को नियोजन के छठे चरण के लिए एक बार क्षांत की जाती है।

(viii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमन, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बी0एड0 में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। तद्नुरूप वैसे अभ्यर्थी, जो इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तथा बी0एड0 एवं STET उत्तीर्ण हों, को गणित विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।

(ix) विभागीय पत्रांक–1686 दिनांक–28.11.2013 के तहत "मात्र एम0बी0ए0 डिग्रीधारी अभ्यर्थी वाणिज्य संकाय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्र नहीं होंगे। इस हेतु एम0कॉम की डिग्री एवं बी0एड0 होना अनिवार्य होगा।

(x) उक्त नियोजन नियमावली के नियम–6(5)(ख), जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी/समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 5 अंक जोड़ा जायेगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के गणित विषय में नियोजन के लिए गणित विषय में प्रतिष्ठा, विज्ञान विषय में नियोजन के लिए रसायनशास्त्र/वनस्पतिशास्त्र/जन्तु विज्ञान में प्रतिष्ठा तथा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास/भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ा जायेगा। अन्य विषयों के लिए, नियोजन के लिए आवेदित विषय में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ा जायेगा।

(xi) N.C.T.E के पत्रांक–51129 दिनांक–10.03.2017 के आलोक में विभागीय पत्रांक–1840 दिनांक–19.07.2017 के तहत यह निदेश संसूचित है कि मात्र B.P.E के योग्यता के आधार पर शारीरिक शिक्षक के पद पर नियोजन नहीं किया जा सकता है। B.P.E के साथ B.P.Ed होना आवश्यक होगा।

(xii) भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेघा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जायेगा।

(xiii) नियोजन में आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों के सापेक्ष दिया जाना है। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के तहत सभी पदों एवं सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, संकल्प संख्या–13185 दिनांक–03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 के द्वारा आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों का अनुपालन नियोजन की प्रक्रिया में किया जाना अनिवार्य होगा।

(xiv) जिलान्तर्गत सभी नियोजन इकाई जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में कॉउन्सिलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा की सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(xv) नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। **साथ ही, विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर यदि किसी नियोजन ईकाई के द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया जाता है, तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी, और तदनुरुप अनुवर्त्ती कार्रवाई की जायेगी।**

(xvi) अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक वैध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STET प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी चयन पाये जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।

(xvii) नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(xviii)नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित वांछित सूचना यथा अन्तिम मेघा सूची का प्रकाशन, उपलब्ध विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन आदि संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। NIC के बेवसाइट पर सूचना प्रकाशित कराने की जिम्मेवारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

(xix) जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेंगे। नियोजन नहीं होने की स्थिति में इनके द्वारा सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xx) कॉउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय, जिसमें यह अंकित हो कि किसी अन्य नियोजन इकाई में वे पूर्व से नियोजित नहीं है। साथ ही, उनका शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर नियोजन इकाई के द्वारा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(xxi) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश/परिपत्र/पत्र उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

(xxii) नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अरशद फिरोज)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 .... पटना, दिनांक ...., 2019

प्रतिलिपि: (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 ......1142 पटना, दिनांक 01.07., 2019

प्रतिलिपि: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc